बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

पत्रांकः–6 / प्राक्क0–01–1195 / 2024–1175 पटना–15 ,दिनांक–25/07/26

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय–**राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भागलपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के क्षेत्राधीन वर्ष 2015–16 के पूर्व 120 (108 योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति क्षेत्र में अधिष्ठापित) एकल मिनी जलापूर्ति योजना विद्युत उर्जा चालित पम्प के साथ सुदृढ़ीकरण / पुनर्गठन तथा तथा पांच वर्षो तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु रू0 1466.77 लाख (चौदह करोड़ छियासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र के योजना की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेशः– राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भागलपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के क्षेत्राधीन वर्ष 2015–16 के पूर्व 120 (108 योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति क्षेत्र में अधिष्ठापित) एकल मिनी जलापूर्ति योजना विद्युत उर्जा चालित पम्प के साथ सुदृढ़ीकरण / पुनर्गठन तथा पांच वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु रू0 1466.77 लाख (चौदह करोड़ छियासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र के योजना की राशि पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के निर्माण मद पर होने वाला व्यय (I) बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति उपशीर्ष 0134–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–36–4215–01–102–0134 के रख–रखाव पर होने वाला व्यय (II) बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम उपशीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख–रखाव सात निश्चय–2 विपत्र कोड–36–2215–01–102–0107 मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस योजना का सूत्रण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम द्वारा उचित माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी भागलपुर कोषागार से की जायेगी।

5. . इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

7. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

8. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

9. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

10. योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने के उपरान्त निविदा के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।

11. इस योजना का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) की होगी।

12. योजना से संबंधित निर्माण मद का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किया जाएगा एवं तत्पश्चात 5 वर्षों का परिचालन एवं रख–रखाव किया जाएगा।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. क्षेत्रीय स्तर पर अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में नियमित अनुश्रवण/निरीक्षण करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं मुख्यालय को जरूर भेजेंगे तथा त्रुटियों का निराकरण भी ससमय सुनिश्चित करायेंगे।

16. वर्ष 2026–27 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

17. उक्त पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० 24.07.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6/प्राक्क0–01–1195/2024-1175 पटना –15 ,दिनांक :- 25/07/26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा–12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4 माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 24.07.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)